



2026:AHC:22227

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1654 वर्ष 2026

प्रिंसी सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राम प्रसाद दुबे

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद पांडे, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव और आयोग की ओर से श्री अवनीश त्रिपाठी की दलीलें सुनीं।

2. आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश त्रिपाठी ने इस न्यायालय के समक्ष निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जो उनके अनुसार स्वतः पूर्ण हैं। वे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।

3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नवीन स्तर पर ही विचार किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि आर.ओ./ए.आर.ओ. मुख्य परीक्षा 2025-26 के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसने गलती से सामान्य/डीएफएफ श्रेणी में आवेदन कर दिया था और उसे ओटीआर संख्या 812595968228 जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने बाद में 25.07.2025 को सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के समक्ष सामान्य/डीएफएफ से सामान्य श्रेणी में परिवर्तन/ सुधार के लिए एक आवेदन/अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा गया और याचिकाकर्ता ने अपना मुख्य परीक्षा फॉर्म जमा किया और श्रेणी कॉलम में सामान्य का उल्लेख किया। हालांकि, 14.01.2026 को प्रत्यर्थियों द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का रोल संख्या "0663076" क्रमांक 10 पर देने किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी के साथ डीएफएफ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त कर दी गई है। दिनांक 14.01.2026 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ता को 20.01.2026 को शाम 5:00 बजे तक अपील करने का अवसर दिया गया था और याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 16.01.2026 को अपील प्रस्तुत की थी, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव द्वारा 23.01.2026 को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इससे पहले रिट-ए संख्या 1150 वर्ष 2026, प्रिंसी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद दुबे, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार और आयोग के लिए श्री अवनीश त्रिपाठी की दलीलें सुनीं।"

2. इस याचिका में याचिकाकर्ता को आरओ/एआरओ मुख्य परीक्षा-2026 में उपस्थित होने की अनुमति देने की प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक यह विसंगति इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं को जनरल/डीएफएफ के रूप में दर्शाया है, जबकि वह जनरल श्रेणी से संबंधित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव (द्वितीय प्रत्यर्थी) के समक्ष 16.01.2026 को अपील दायर की थी, जो पेपर बुक के पृष्ठ 28 पर है। उन्होंने अपील के निस्तारण के लिए ही अपना अनुतोष सीमित किया है।

3. आयोग के अधिवक्ता श्री त्रिपाठी ने दिनांक 28.01.2026 के निर्देशों के आधार पर निवेदन किया कि अपील खारिज कर दी गई है और कारणों सहित आदेश की हार्ड कॉपी कल दोपहर 12:00 बजे यानी 30.01.2026 तक याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है।

4. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. श्री राम प्रसाद दुबे आयोग के अधिवक्ता को व्हाट्सएप नंबर देंगे, जो उनके मुवक्किल को आदेश की सूचना देंगे।

6. आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं।”

5. दिनांक 23.01.2026 के अपीलीय आदेश पर प्रश्न उठाते हुए यह याचिका दायर की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता की अपील खारिज करने वाला दिनांक 23.01.2026 का आदेश अस्पष्ट, तर्कहीन है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई कारण नहीं बताता है। उनका कहना है कि जब अपील का एक मूल्यवान अधिकार प्रदान किया गया है, तो अपील में प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया जाना चाहिए था एवं इसके बाद आदेश पारित किया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि उक्त प्रक्रिया का अभाव है।

7. आयोग की ओर से उपस्थित श्री त्रिपाठी ने कहा कि आयोग के सामने ऐसी स्थिति है जिसमें हजारों अपीलों दायर की जा रही हैं और व्यक्तिगत रूप से आदेश पारित करना मानवीय रूप से संभव नहीं है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता का कहना है कि कोई अतिरिक्त आधार विचारणीय नहीं था, इसलिए अन्य अपीलकर्ताओं के मामलों के साथ ही उनकी अपील का भी निर्णय हो चुका है। हालांकि, उन्होंने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि इस संबंध में एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा।

8. मैंने पीठ पर किए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

9. स्पष्टतः, दिनांक 23.01.2026 का अपीलीय आदेश अस्पष्ट और तर्कहीन है। इसमें अपीलकर्ता का पक्ष भी नहीं लिया गया है, जो इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता है। अपील एक महत्वपूर्ण अधिकार है और इसे सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत खारिज नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब अपील के जापन में उल्लिखित दलीलों पर विचार किया जाना आवश्यक हो। चूंकि अपीलीय आदेश में अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं लिया गया है और इसे बिना कोई कारण बताए पारित किया गया है, इसलिए विवादित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।

10. इस अवसर पर आयोग की ओर से उपस्थित श्री त्रिपाठी ने बताया कि अपीलीय आदेश आज 4:00 बजे तक पारित कर दिया जाएगा और आदेश को प्रति याचिकाकर्ता को डाक द्वारा तथा आयोग के साथ पंजीकृत व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी।

11. तदनुसार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2026 को पारित आदेश अपास्त किया जाता है। मामला आज ही एक नया आदेश पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

12. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”